रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 404] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 3, 1971/श्रावण 12, 1893
No. 404] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 3, 1971/SRAVANA 12, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

ORDER

New Delhi, the 3rd August 1971

S.O. 2906.—Whereas by Order of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board) No. S.O. 663 dated 4th February, 1971, the Central Government has prohibited strikes in any of the railway services connected with or under the Eastern Railway Administration;

And whereas the said Order will be in force for a period of six months only;

And whereas the Central Government is satisfied that in the public interest it is necessary to extend the period of operation of the said order;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of the section 3 of the Essential Services Maintenance Act, 1968 (59 of 1968), the Central Government hereby extends the period of operation of the said Order for a further period with effect on and from 4th August to 27th December, 1971.

[No E(LU)71ST 1-9.]

By Order and in the name of the President.

V. P. SAWHNEY,

Secretary Railway Board and *ex-officio* Joint Secy

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

आदेश

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 1971

एस० ओ० 2906.—यतः भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) के 4 फरवरी, 1971 के आदेश सं० एस० ओ० 663 के द्वारा केन्द्रीय सरकार ने पूर्व रेल प्रशासन से सम्बद्ध या उसके अधीन किसी भी रेल सेवा में हड़ताल करना निषिद्ध किया है ;

और यतः उक्त आदेश केवल छः महीने की अवधि के लिए लागू होगा ;

और यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि जन हित में उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि बढ़ाना आवश्यक है ;

अतः अब अनिवार्य सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1968 (1968 का 59) की धारा 3, उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि, 4 अगस्त, 1971 से 27 दिसम्बर, 1971 तक और बढ़ाती है ।

[सं० ई० (एल० यू०) 71 एस० टी० 1—9]

राष्ट्रपति के आदेश द्वारा और उनके नाम से ।

वेद प्रकाश साहनी, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं पदेन संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENENRAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971